बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
–::संकल्प::–

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या–550 की कंडिका–5.2.3 (वर्ष–2014–15), जो विभिन्न आधारों पर अयोग्य संवेदकों को अनियमित रूप से संविदा पर कार्य सौंपे जाने के फलस्वरूप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन निराशाजनक रहने से संबंधित है, के संदर्भ में समिति द्वारा विभागीय उत्तर पर विमर्शोपरान्त दिनांक 31.03.2014 की आन्तरिक समीक्षात्मक बैठक में सी0ए0जी0 की कंडिका आपत्ति को सही मानते हुए तत्कालीन सभी विभागीय पदाधिकारियों एवं संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में मो0 रियाजुद्दीन, तदेन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के पदस्थापन काल में अयोग्य संवेदक को अनियमित रूप से संविदा प्रदान किये जाने के विभिन्न आरोपों पर विभागीय संकल्प सं0–2166 दिनांक 04.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री विन्ध्यवासिनी कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. मुख्य अभियंता–4–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 409 अनु0 दिनांक 30.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें मो0 रियाजुद्दीन के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी और समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि सी0ए0जी0 के निष्कर्ष एस0बी0डी0 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

4. जॉच प्रतिवेदन के आलोक में मो0 रियाजुद्दीन को आरोप से मुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर उपस्थापित संचिका में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले को पुनः परीक्षण हेतु लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थापित किये जाने का निदेश दिया गया।

5. तदालोक में बिहार विधान सभा सचिवालय (लोक लेखा समिति) को मामले के पुनः परीक्षण कर निर्णय से अवगत कराने हेतु विभागीय पत्रांक 2322 अनु0 दिनांक 14.09.2018 द्वारा आवश्यक कागजात/अभिलेख प्रेषित किया गया। इस संदर्भ में लोक लेखा समिति को अपने निर्णय से अवगत कराने हेतु विभागीय पत्रांक 2615 दिनांक 03.09.2019, विभागीय पत्रांक 7080 दिनांक 26.11.2020, विभागीय पत्रांक 1186 दिनांक 01.09.2021, विभागीय पत्रांक 1083 दिनांक 27.06.2022, विभागीय पत्रांक 1601 दिनांक 26.09.2022, विभागीय पत्रांक 829 दिनांक 27.04.2023 एवं विभागीय पत्रांक 1311 दिनांक 26.05.2023 द्वारा स्मारित भी किया

गया। इसके उपरान्त भी लोक लेखा समिति का निर्णय अप्राप्त रहने की स्थिति में मामले में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय स्तर से निर्णय लेने का आदेश दिया गया।

6. उक्त के आलोक में विभागीय स्तर पर मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो0 रियाजुद्धीन, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने के आलोक में मो0 रियाजुद्धीन को आरोप से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 रियाजुद्धीन, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रश्नगत आरोपों से मुक्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/01/25

(डा0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–9–10/2015 815 /पटना, दिनांक :– 23.1.25

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

21/01/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–9–10/2015 815 /पटना, दिनांक :– 23.1.25

प्रतिलिपि :– महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–9–10/2015 815 /पटना/दिनांकः– 23.1.25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक /उप सचिव, विधान सभा सचिवालय (लोक लेखा समिति), बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर/गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर/शेरघाटी/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ मो0 रियाजुद्धीन, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, पत्राचार का पता–मोहल्ला–न्यू अजीमाबाद कॉलोनी, डाकघर–महेन्द्रु, थाना–सुलतानगंज, जिला–पटना, पिनकोड–800006 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/15

संयुक्त सचिव